दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

No. MCI-Computer/401/2019/ 146343 Date: 13-09-19

To,
The Dean/Principal,
All Medical Colleges in India.

Sub: Biometric attendance through OFAMOS devices installed in the Medical Colleges under DMMP-I – compliance of provisions of Regulation of MCI.

Sir/Madam,

As you are aware that Bio-metric devices have already been dispatched/installed in your Medical College for capturing faculty attendance for implementation of Online Faculty Monitoring System (OFAMOS) under DMMP-I Project. Your kind attention is invited to clause A.1.23 (a) and clause B.1.11 of the amendment in "Minimum Standard Requirement for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", vide notification dated 25/04/2019, published in the Gazette of India on 29/04/2019.

2. As per amended clause A.1.23 (a), the maintenance of biometric attendance system shall now, be the responsibility of Medical Colleges/Institutions. All Medical Colleges/Institutions shall install biometric attendance machine for regularly capturing the attendance of human resources and it shall be made available on the Medical College Website in the form of daily attendance dashboard. The Council may seek such record of attendances during or after assessment, from the Medical Colleges. Further, at the discretion of the Council, the Medical College shall be required to furnish an undertaking by way of an affidavit stating that the enrolment of human resources in the biometric system has been ensured in a trusted environment and the report of the biometric attendance, is authentic and correct.

3. Further, as per amended clause B.1.11, every Medical College/ Institution shall have its own website wherein a hyperlink shall be made available as '**Information under MSR Clause B.1.11**' on the home page of the College Website, which shall contain the information as specified in clause B.1.11 (a) and B.1.11 (b). Further, the Medical College/ Institutions shall also maintain daily biometric attendance dashboard of human resources as specified in the amended regulations. The attendance dashboard shall be provided as a sub-link i.e. '**Biometric attendance Dashboard**' under the main link i.e. 'Information under MSR Clause B.1.11' on Home page of the College Website. The enclosed Gazette may be referred for detailed information.

4. The maintenance activity of OFAMOS devices & SIM Cards, as earlier performed by the Council, has been discontinued and henceforth, the responsibility of maintaining the biometric attendance, is now lies with the Medical Colleges. In this regard, it is further to inform you that it

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

has been decided that the biometric devices which have been dispatched/ installed at your Medical College/ Institution, are being handed over to you, on complementary basis, with effect from 01.09.2019. Accordingly, the SIM cards affixed in these biometric devices shall also be deactivated by the Council. These devices may be utilized with or without SIM Cards as per your requirement.

5. Medical Colleges may integrate/utilize these biometric devices with their existing biometric attendance system (if any) by getting the technical support from the OEM i.e. M/s Mantra. For integration support of these devices, the OEM i.e. M/s Mantra may be contacted at the below details:

Contact No: 079-64506243, 079-49068000 Extn.: 1
Email: servico@mantratec.com
Website: https://www.mantratec.com/products/Integrated-Fingerprint-Devices

6. For the reconciliation of pending SIM Card bills & payments, Medical Colleges are directed to deposit the pending monthly rental payment of SIM Cards up to the month of September 2019, if not paid. Any short or excess payment shall be recovered/adjusted in co-ordination with the Account Section of the Council.

7. In view of above, you are directed to ensure the strict compliance of the above provisions of the said regulation i.e. "Minimum Standard Requirement for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" and extend full cooperation so that the same may be complied with.

Yours faithfully,

(Dr. R.K. Vats)
Secretary General

Encl: Minimum Standard Requirement Notification Dated 25.04.2019

Copy for information to:
1) PS to Chairman, BOG, Medical Council of India
2) Assistant Secretary, UG Section
3) Computer Programmer, Computer Section
4) Consultant, PG & Assessment Cell
5) Accounts Section, Medical Council of India
6) Guard File

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

सं. भा.आ.प.- कम्प्यूटर/401/2019/ 146343 दिनांक : 13-09-19

सेवा में,
डीन/प्रधानाचार्य,
भारत के सभी मेडिकल कालेज

विषय: मेडिकल कालेजों में डीएमएमपी- I के तहत ऑनलाइन फैकल्टी मॉनिटरिंग सिस्टम (OFAMOS) उपकरणों के माध्यम से बायोमेट्रिक उपकरणों उपस्थिति- भाआप के विनियम के उपबंधों का अनुपालन।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि डीएमएमपी-I परियोजना के तहत ऑनलाइन फैकल्टी मॉनिटरिंग सिस्टम (OFAMOS) के कार्यान्वयन के लिए संकाय उपस्थिति प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों को आपके मेडिकल कॉलेज में पहले ही भेजा/संस्थापित किया गया है। आपका ध्यान "50/100/150/200/250 एमबीबीएस दाखिले प्रतिवर्ष की न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली,1999" के खंड क.1.23 (क) और खंड ख.1.11 की ओर आकर्षित किया जाता है, जोकि दिनांक 25.04.2019 की अधिसूचना द्वारा 29.04.2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

2. संशोधित खंड क.1.23 (क) के अनुसार, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का रखरखाव अब मेडिकल कॉलेजों / संस्थानों की जिम्मेदारी होगी। सभी मेडिकल कॉलेज / संस्थान नियमित रूप से मानव संसाधनों की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन स्थापित करेंगे और इसे दैनिक उपस्थिति डैशबोर्ड के रूप में मेडिकल कॉलेज वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। परिषद, मेडिकल कॉलेजों से मूल्यांकन के दौरान या बाद में उपस्थिति का ऐसा रिकॉर्ड मांग सकती है। इसके अलावा, परिषद के विवेक पर, मेडिकल कॉलेज को एक वचनपत्र, हलफनामे के रुप में देना होगा, जिसके द्वारा यह बताना होगा कि बायोमेट्रिक प्रणाली में मानव संसाधनों का नामांकन एक विश्वसनीय वातावरण में सुनिश्चित किया गया है और बायोमेट्रिक उपस्थिति की रिपोर्ट प्रमाणिक और सही है।

3. इसके अलावा, संशोधित खण्ड ख.1.11 के अनुसार, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज / संस्थान की अपनी वेबसाइट होगी जिसमें कॉलेज वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर **"न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली के खंड ख.1.11 के तहत सूचना"** 'के रूप में एक हाइपरलिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें खंड ख.1.11 (क) और ख.1.11 (ख) में निर्दिष्ट सूचना निहित होगी। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेज / संस्थान संशोधित नियमों में निर्दिष्ट मानव संसाधनों के दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति डैशबोर्ड को भी बनाए रख सकते हैं। कॉलेज के वेबसाइट के होम पेज, उपस्थिति डैशबोर्ड पर मुख्य लिंक अर्थात 'न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली के खंड ख.1.11 के तहत सूचना' के तहत उप-लिंक अर्थात **'बायोमेट्रिक अटेंडेंस डैशबोर्ड'** के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तृत सूचना के लिए संलग्न राजपत्र को संदर्भित किया जा सकता है।

4. ऑनलाइन फैकल्टी मॉनिटरिंग सिस्टम (OFAMOS) उपकरणों और सिम कार्डों की रखरखाव गतिविधि, जो कि अब तक परिषद द्वारा की जाती थी, को अब बंद कर दिया गया है और आगे से, बायोमेट्रिक उपस्थिति के रखरखाव की जिम्मेदारी अब मेडिकल कॉलेजों के ऊपर है। इस संबंध में, आपको सूचित किया जाता है कि यह निर्णय लिया गया है कि जिन बायोमेट्रिक उपकरणों को आपके मेडिकल कॉलेज / संस्थान में भेजा / स्थापित किया गया है, उन्हें

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

01.09.2019 से पूरक आधार पर, आपको सुपुर्द किया जा रहा है। तदनुसार, इन बायोमेट्रिक उपकरणों में लगे हुए सिम कार्ड भी परिषद द्वारा निष्क्रिय किए जाएंगे। इन उपकरणों को आपकी आवश्यकता के अनुसार सिम कार्ड के साथ या उसके बिना भी उपयोग किया जा सकता है।

5. मेडिकल कॉलेज इन बायोमेट्रिक उपकरणों को अपने मौजूदा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (यदि हो, तो) के साथ ओईएम अर्थात मैसर्स मंत्रा से तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन उपकरणों के एकीकरण समर्थन के लिए, नीचे दिए गए विवरणों पर ओईएम यानी मैसर्स मंत्रा से संपर्क स्थापित किया जा सकता है:

संपर्क नंबर: 079-64506243, 079-49068000 Extn .: 1
ईमेल: servico@mantratec.com
वेबसाइट: https://www.mantratec.com/products/Integrated-Fingerprint-Devices

6. सिम कार्ड के लंबित बिलों और भुगतानों के सामंजस्य के लिए, मेडिकल कॉलेजों को यह निर्देश दिया जाता है कि सितंबर 2019 तक लंबित मासिक किराये भुगतान, यदि जमा नहीं किया है तो जमा कराने होंगे। किसी भी छोटे या अधिक भुगतान को परिषद के लेखा अनुभाग के साथ समन्वय में पुनर्प्राप्त / समायोजित किया जाएगा।

7. उपरोक्त को देखते हुए, आपको उक्त नियमन अर्थात "50/100/150/200/250 एमबीबीएस दाखिले प्रतिवर्ष की न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली,1999" के उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया जाता है, जिससे कि इनका अनुपालन किया जा सके।

भवदीय,

17/9/19
(डॉ. आर.के. वत्स)
महासचिव

संलग्नक: न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली अधिसूचना दिनांक 25.04.2019
प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ:

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, अध्यक्ष के निजी सचिव।
2. सहायक सचिव, पूर्व-स्नातक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
3. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग
4. परामर्शदाता, स्नातकोत्तर अनुभाग एवं मूल्यांकन कक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
5. लेखा अनुभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
6. गार्ड फाईल